मूल्य रूपये 100/-
क्रम संख्या
रेरा रजिस्ट्रेशन न --------------------------

अंसल की आशियाना कानपुर रोड, सेक्टर एम -1 लखनऊ स्थित महायोजना के अंतर्गत "अंसल आँगन ई० डव्लू० एस०" योजना में दुर्बल आय वर्ग (ई० डव्लू० एस०) हेतु भवन के पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र

(कृपया पत्र भरने से पूर्व संलग्न शर्तों व नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सभी जानकारी भरें और सभी मांगें गये प्रपत्र संलग्न करें |)

सेवा में
अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लि०
606 छठा तल इंद्रप्रकाश बिल्डिंग
21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001

महोदय
एतद द्वारा में / हम (आवेदक) आपकी उपरोक्त योजना में दुर्बल आय वर्ग हेतु बनाये जाने वाले भवन के पंजीकरण के लिये आवेदन करता हूँ / करते है |
(जमा की गयी पंजीकरण धनराशि का विवरण (कृपया सभी रिक्त स्थान भरें एवं भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही करें |)

पंजीकरण धनराशि रूपये.................................. (शब्दों में) ……………………………………………………………….……

ड्राफ्ट संख्या... दिनांक ………. बैंक का नाम...................................शाखा...............................

(ड्राफ्ट अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लि० / सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त नाम से देय होगा |)

आवेदक (को) का विवरण

आवेदक का नाम 1.. 2..
पिता / पति का नाम 1…………………… 2……………………
आधार कार्ड नं 1…………………… 2……………………
आयु (18 वर्ष से कम न हो) 1…………………… 2…………………. ..
व्यवसाय 1……………………. 2…………………..
आरक्षित श्रेणी वर्ग .... (श्रेणी का पूरा नाम लिखें)
(आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
कुल वार्षिक आय ……………………………………………………………………………
पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान पता ……………………………………………………………....
(पते का प्रमाण दें) ………………………………………..पिन कोड ……………………….
………………………………………………………मोबाइल न. ……………………...
इ मेल.. ….
स्थायी पता …………………………………………………………………………
…………………………………………पिन कोड …………..मोबाइल न…………..
आवेदक के बैंक खाते का विवरण (क्रॉस किये हुये चैक की कॉपी संलग्न करें |) आवेदन असफल या रद्द होने की दशा में कंपनी द्वारा इसी बैंक के खाते में राशि वापस जमा की जाएगी |

बैंक का नाम.. बैंक खाते का पता..
खाता सं.. IFSC code……………………………………..
आवेदक के परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण
1 नाम ………………………. आयु ………………………. सम्बन्ध ………………….
2 नाम ………………………. आयु ………………………. सम्बन्ध ………………….
3 नाम ………………………. आयु ………………………. सम्बन्ध ………………….
4 नाम ………………………. आयु ………………………. सम्बन्ध ………………….

(कृपया अपना मोबाइल न. तथा ई मेल पता अवश्य दें | इससे हमें आपको सही समय पर जानकारी देने में आसानी होगी| आवेदन पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट को यूको बैंक की नवीन भवन, लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिन खण्ड, गोमती नगर स्थित शाखा में जमा करना होगा |

अंसल आँगन योजना में आवेदन प्राप्ति रसीद **आवेदन पत्र क्रम संख्या**
दिनांक......................

आवेदक का नाम…………………………… रूपये................................... चेक संख्या ………………………बैंक का नाम..............................

शाखा.. दिनांक ………………………………… प्राप्त किये |

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

भवनों का विवरण

भवनों की संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)			मूल विक्रय मूल्य रु०	पंजीकरण धनराशि रु०	आवंटन तिथि से 30 दिनों में देयराशि	अवशेष धनराशि की भुगतान पद्यति
120	प्लाट क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर	कार्पेट क्षेत्रफल 11.40	विल्टअप क्षेत्रफल 12.93	मूल 763,997/-	76300/-	21697/-	18500/- की 36 मासिक किश्तें आवंटन तिथि से 60 दिनों में शुरू

विशेष सूचना

1 उपरोक्त मूल विक्रय मूल्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण की 5% फीस(Rs.38200/-),, फ्रीहोल्ड शुल्क, प्रचलित कर, वस्तु व सेवा कर (GST) स्टाम्प पेपर विक्रय विलेख, रजिस्ट्रेशन अन्य संबंधित खर्चे तथा बिजली के उपयोग एवं कनेक्शन आदि के खर्चे शामिल नहीं है और ये अतिरिक्त रूप से आवंटन की शर्तों व नियमों के अनुसार कब्जे के प्रस्ताव के समय देय होंगे|

2 वर्तमान प्रस्ताव में कुल 120 भवनों के आवंटन तथा विक्रय का प्रस्ताव हैं |

घोषणा

में/ हम एतद द्वारा ये घोषणा करता हूँ / करते है कि में/ हम भारत का / के नागरिक हूँ/ है और मेरी / हमारी वार्षिक आय शासन द्वारा दुर्बल आय वर्ग के लिये निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं है और में/ हम दुर्बल आय वर्ग योजना के अंतर्गत भवन के आवंटन का उचित पात्र हूँ / है | मैंने / हमने संलग्न सभी शर्तों व नियमों को पूर्णतया पढ़ समझ और स्वीकार कर ली हैं तथा में/ हम सभी शर्तों व नियमों को मानने के लिये वाध्य है | आवंटन के बाद आवंटन पत्र / अनुबंध की सभी शर्तें मुझे / हमें मान्य होंगी में/ हम यह घोषणा भी करता हूँ/करते है कि यदि मेरे / हमारे द्वारा दी गयी कोई सूचना पूर्ण या आंशिक रूप से असत्य या अपूर्ण पाई जाती है या में/ हम कंपनी द्वारा जारी आवंटन पत्र / अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं करता /करते या अन्य कोई औपचारिकता पूर्ण नहीं करता / करते तो कम्पनी पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने तथा जमा धनराशि आवंटन / पंजीकरण की शर्तों व नियमों के अनुसार कटौती करके वापिस करने तथा अन्य विधिक कार्यवाही करने की अधिकारी होगी |

दिनांक

आवेदक (को) के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग हेतु

आरक्षित श्रेणी या सामान्य वर्ग ....(श्रेणी का पूरा नाम लिखें)

आवंटन स्वीकृत ☐ अस्वीकृत ☐ अस्वीकृत का कारण ....

आबंटित घर क्रमांक .... आबंटित क्षेत्रफल .... वर्गमीटर (लगभग)

शपथ पत्र प्राप्त किया हां ☐ / नहीं ☐

आय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हां ☐ / नहीं ☐

कैंसिल चेक प्राप्त किया हां ☐ / नहीं ☐

मूल निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हां ☐ / नहीं ☐

आरक्षित श्रेणी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हां ☐ / नहीं ☐
केवल आवेदक के आरक्षित वर्ग का होने पर
ही आवश्यक हैं |

दिनांक ....

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षार

अंसल की आशियाना, कानपुर रोड, सेक्टर एम -1 लखनऊ स्थित महायोजना के अंतर्गत "अंसल्स आँगन ई० डब्ल्यू० एस० योजना में दुर्बल आय वर्ग (ई० डब्ल्यू० एस०) हेतु भवनों के पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र

योजना में पंजीकरण एवं आवंटन के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण शर्तें व नियम निम्नानुसार हैं |

1 आवेदक दुर्बल आय वर्ग का होना चाहिए | एवं पारवारिक वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |

2. आवेदक अथवा उसके पति/ पत्नी या किसी आश्रित के पास जिसमें अविवाहित बच्चे भी सम्मिलित हैं लखनऊ शहर में कोई अपना मकान अथवा आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए एवं उत्तर प्रदेश में एक से अधिक भूखंड / भवन नहीं होने चाहिए |

3 आवेदन पत्र की तिथि तक आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये |

4 एक आवेदक को जिसमें उसके परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं, एक ही भवन दिया जायेगा | परिवार में उसकी पत्नी/ उसका पति आश्रित अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं |

5 आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत संविदा करने हेतु सक्षम होना चाहिए |

6 पंजीकरण एक से अधिक लोगों के संयुक्त नाम से भी किया जा सकता है | इस प्रकार के संयुक्त पंजीकरण पति / पत्नी, पिता / पुत्र पुत्री, माता / पुत्र पुत्री, सगे भाई बहन, भाई / भाई, बहन/ बहन तक सीमित होंगे | इन सबका व्यस्क होना अनिवार्य होगा | कंपनी द्वारा पत्र व्यवहार केवल प्रथम आवेदक के द्वारा दिये गए पते / ईमेल पर ही किया जायेगा और सभी आवेदकों को प्राप्त माना जायेगा |

7. पंजीकरण का किसी भी दशा में हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा | अतएव पंजीकृत आवेदक के नाम के स्थान पर किसी अन्य का नाम बदले जाने की प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा | परन्तु पंजीकृत आवेदक की मृत्यु होने पर नियमानुसार उसके वारिस के नाम पंजीकरण नामांतरित किया जा सकेगा |

8. आवेदक को कंपनी द्वारा जारी प्रार्थना पत्र पर आवेदन करना होगा तथा प्रार्थना पत्र में अंकित पंजीकरण धनराशि सहित निर्दिष्ट बैंक में जमा करना होगा |

9 (क) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ रूपये 76300/- धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एवं सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ" के पक्ष में हो संलग्न किया जाना चाहिए | आवेदन पत्र के साथ चालान की चारों प्रतियाँ भी भरकर दी जानी चाहिए | बैंक ड्राफ्ट के पीछे पूरा नाम मोबाइल न. तथा आवेदन पत्र का क्रमांक संख्या स्पस्ट रूप से लिखा जाना चाहिए| |

(ख) आवंटन पत्र में किस्तों के भुगतान का विवरण अंकित होगा | इसके अतिरिक्त मेसर्स अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लि० द्वारा अलग से सूचना निर्गत नहीं की जायेगी | समय से भुगतान न करने पर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा | किस्तों को समय के अंदर भुगतान न करने पर देय तिथि से ही दंड व्याज देय होगा |

(ग) मेसर्स अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लि० किसी ऐसी धनराशि या उस पर अर्जित व्याज जमा करने वाले को देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसका बैंक की गलती से या जमा करने वाले व्यक्ति की गलती से जमा होना सत्यापित न हो |

10 मेसर्स अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लि० में पंजीकृत हर व्यक्ति को मेसर्स अंसल मकान देने के लिए वाध्य नहीं है और यदि किसी आवेदक को मकान नहीं मिल पाता तो उसके लिए आवेदक मेसर्स अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लि० से किसी प्रकार का मुआवजा या हर्जाना नहीं ले सकता |

11 अपूर्ण अथवा गलत रूप से भरे हुये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे|

12 जो आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के बाद दिये जायेंगे या निर्धारित आवेदन पर नहीं होंगे उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा |

13 मेसर्स अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लि० में उपलब्ध सम्पत्ति जैसी है जहाँ है के आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध होगी | आवंटन तथा कब्जे के उपरांत संपत्ति की परिस्थियाँ अथवा अन्य किसी प्रकार के दोषों के सम्बन्ध में किसी शिकायत अथवा परिवर्तन / परिवर्धन या सुधार के लिये किसी प्रार्थना पत्र पर मेसर्स अंसल द्वारा सामान्यता कोई विचार नहीं किया जायेगा |

14 निर्धारित तिथि तक निर्धारित धनराशि प्राप्त होने पर भवन का आवंटन किया जायेगा | भवनों का आवंटन सार्वजनिक रूप से निर्धारित धनराशि जमा करने वाले सभी आवेदकों के मध्य लाटरी द्वारा किया जायेगा | आवेदकों को आवंटन तिथि, स्थान तथा समय की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी, आवेदक चाहे स्वयं लाटरी के समय उपस्थित हो सकते हैं | लाटरी के निर्धारित तिथि में प्राधिकरण का प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा |

15 लाटरी में असफल आवेदकों को जमा की गयी पंजीकरण राशि बिना व्याज के वापसी की जाएगी |

16. लाटरी में सफल प्रत्येक आवंटी को समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण कर देने के बाद आवंटन पत्र भेजा जायेगा |

17 आवेदन पत्र की तिथि से 30 दिनों में आवंटी को विक्रय के करारनामा का निष्पादन व रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा |

18. वर्तमान शासनादेश के अनुरूप विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिये आरक्षण की सुविधा दी जाएगी|

19 भूमि का प्रीमियम मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क व अन्य व्यय की धनराशि सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम से बैंक ड्राफ्ट देय होगा | स्टाम्प पेपर विक्रय विलेख रजिस्ट्रेशन तथा बिजली के उपयोग कनेक्शन आदि के खर्चे भी विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं है, जो पृथक देय होंगे |

20 यदि भविष्य में करों के दर में विकास प्राधिकरण / शासन / न्यायालय द्वारा बदलाव किया जाता है वह आवंटी को मान्य होगा | वह अतिरिक्त रूप से आवेदक/ आवंटी से कंपनी द्वारा मांगे जाने पर देय होंगे |

21 पंजीकरण धनराशि व अन्य किस्तों की देय धनराशि मेसर्स अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लि० / सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त नाम से बैंक ड्राफ्ट देय होगा जो नवीन भवन लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिन खंड गोमती नगर स्थित यूको बैंक में जमा होंगे | कंपनी द्वारा नगद लेन देन नहीं किया जायेगा |

22 किस्तों की देय धनराशि के भुगतान में विलम्ब होने पर रियल स्टेट रेगोलेट्री द्वारा निर्धारित व्याज / दंड व्याज देय होंगे |

23 आवेदन के साथ क्रॉस चैक की फोटोकापी निवास प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत के साथ शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं |

24 आवंटी किसी संस्था या अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त करके एक मुश्त धनराशि जमा कर सकता है|

25 भवन के स्वामित्व व कब्जे का हस्तांतरण सम्पूर्ण भुगतान व विक्रय विलेख के निष्पादन पर ही होगा |

26 अवशेष धनराशि के भुगतान की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले यदि कंपनी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाता है तो कंपनी भवन के कब्जे का प्रस्ताव भुगतान अवधि समाप्त होने से पहले भी कर सकती है | इस स्थिति में यह आवंटी की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह सभी अवशेष किस्तों का अग्रिम भुगतान करके भवन के कब्जे की कार्यवाही आरम्भ करे या निर्धारित भुगतान अवधि पूर्ण होने की प्रतीक्षा करें |

27 भवन के आवंटन के पश्चात् धनराशि वापस मांगने पर अथवा धनराशि को भुगतान पद्यति के अनुसार जमा न करने अथवा किसी औपचारिकता को पूरा न कर पाने के कारण निरस्तीकरण के पश्चात पंजीकरण धनराशि पर 10% कटौती के बाद शेष धनराशि विना व्याज के वापस की जाएगी और तत्पश्चात आवंटी का भवन पर किसी प्रकार का अधिकार शेष नहीं रहेगा |

28 यह कंपनी का विशेष अधिकार होगा की यदि आवंटी बकाया राशि तथा विलम्बित राशि पर दंड व्याज आवंटन के रिस्टोर करने का शुल्क देता है तो कम्पनी निरस्त किये आवंटन को रिस्टोर कर सकती हैं.

29 आवंटी के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति बकाया राशि का भुगतान करताहै तो कंपनी किसी भी तरह से उस अन्य व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार नहीं होगी और भुगतान की रसीद आवंटी के नाम से ही जारी की जायेगी|

30 उपरोक्त शर्तों व आवंटन पत्र / अनुबंध की शर्तों व नियमों का उल्लंघन होने पर यदि कंपनी की तरफ से कोई कार्यवाही करने में देर होती है तो उसे नियमों व शर्तों में किसी प्रकार की छूट नहीं माना जायेगा और इससे कंपनी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा |

31 किसी प्रकार के वाद विवाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा |

मैंने / हमने उपरोक्त सभी शर्तों व नियमों को पढ़ समझ और स्वीकार कर लिया है तथा में / हम सभी शर्तों व नियमों को मानने के लिये बाध्य हूँ/ है | में / हम यह भी समझते है कि उपरोक्त शर्ते और नियम संक्षिप्त रूप से है तथा आवंटन के पश्चात होने वाले आवंटन पत्र / अनुबंध की शर्तों व नियमों का एक भाग मात्र हैं / आवंटन पत्र/अनुबंध में सभी शर्ते व नियम मुझे / हमें मान्य होंगी |

दिनांक **आवेदक (को) के हस्ताक्षर**